चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2459
दिनांक : 13.9.2011

सचिव
आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी,
ए–20, के0पी0–III, ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1470/सत्तर–2–2008–2(485)/2007, दिनांक 10.09.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निदेशित किया गया है कि शासनादेश संख्या–3757/सत्तर–2–2007–2(485)/2007, दिनांक 18.10.2007 द्वारा आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए–20, के0पी0–III, ग्रेटर नोएडा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2007 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/3301, दिनांक 30.01.2008 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन ने आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए–20, के0पी0–III, ग्रेटर नोएडा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2006–07 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. प्रश्नगत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय/संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधायें एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन पूरा कर लेगी तथा इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उक्त शैक्षिक सत्र 2006–07 बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से सत्र 2006–07 की काउन्सलिंग द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार 180 दिन का पठन–पाठन कराया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए–20, के0पी0–III, ग्रेटर नोएडा** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **सत्र 2006–2007 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। शासनादेश संख्या–3757/सत्तर–2–2007–2(485)/2007, दिनांक 18.10.2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2030
दिनांक : 15-7-2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए–20, नोलेज पार्क–तृतीय ग्रेटर नोएडा** को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर सांइस)** पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2019 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 30.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार **आई0आई0एम0टी0 कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ए–20, नोलेज पार्क–तृतीय ग्रेटर नोएडा** को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर सांइस)** पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2019 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता** की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव